

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय

पत्रांक— सं०सं०— ह०क०सह० (यो०/वन टाईम सेटलमेन्ट)— 30/2018 पटना, दिनांक—
प्रेषक,

निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि०, राजेन्द्रनगर, पटना।

प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शीप एण्ड ऊल विभर्स को-ऑपरेटिव यूनियन लि०,
राजवंशीनगर, पटना।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि०, बिहारशरीफ/
भागलपुर/मधुबनी/सीवान।

विषय— राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस— 2018 के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री बिहार द्वारा की
गई घोषणा— “हस्तकरघा सहयोग समिति/संघ ने जो कर्ज लिया है, इस संबंध में
One time settlement के लिए बैंको से बात करके पहल की जायेगी” के संबंध में।

प्रसंग— निदेशालय पत्रांक 1522 दिनांक 05.09.2018, 1913 दिनांक 08.11.2018 एवं 2160
दिनांक 07.12.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के उक्त घोषणा के
अनुपालन हेतु प्रासंगिक पत्रों द्वारा विहित प्रपत्र में बैंको से लिये ऋण का ब्योरा की माँग की गई है। परन्तु
अभी तक प्रतिवेदन अप्राप्त है। चूँकि इस घोषणा का अनुपालन राज्य के हस्तकरघा प्रक्षेत्र के बुनकरों के
विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अतः आपसे वांछित प्रतिवेदन ससमय पूर्ण रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
अनुरोध है कि—

- (1) हस्तकरघा सहयोग समिति/संघों ने जो कर्ज बैंको से लिया है, उसका **One time settlement** के
निमित्त बैंको से लिया गया कर्ज संबंधित बैंक से सत्यापित करा कर एवं **One time settlement** का
प्रस्ताव संघ का Offer सहित प्रबंधकारिणी की बैठक में पारित करा कर समर्पित किया जाय।
- (2) इस पत्र का तामिला समिति/संघ के प्रबंधकारिणी के सभी पदधारक को व्यक्तिगत रूप से करा
कर तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध कराई जाय।
- (3) भविष्य में यदि कोई दावा निकलता है तो वर्तमान पदधारक पर इसकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी
और उन्हीं से वह राशि वसूलनीय होगी।
- (4) यह भी स्पष्ट करना है कि बैंको से लिये गये ऋण का जिसका **One time settlement** करना चाहते
हैं, का ही दावा समर्पित किया जाय। इसके अतिरिक्त अन्य कोई दावा है तो उसे अलग से दिया
जाय।
- (5) आपसे **One time settlement** का दावा प्राप्त होने पर बैंक एवं ऋणी समिति/संघ के साथ बैठक
करा कर **One time settlement** किया जायेगा।

उक्त प्रतिवेदन 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर समर्पित करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, उद्योग विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह०/—

निदेशक,

हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना।

P.T.O.

ज्ञापांक- सं०सं०- ह०क०सह० (यो०/वन टाईम सेटलमेन्ट)- 30/2018 पटना, दिनांक-
प्रतिलिपि- अध्यक्ष, बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि०, राजेन्द्रनगर, पटना/अध्यक्ष, बिहार राज्य शीप एण्ड ऊल विभर्स को-ऑपरेटिव यूनियन लि०, राजवंशीनगर, पटना/अध्यक्ष, क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि०, बिहारशरीफ/भागलपुर/मधुबनी/सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

निदेशक,

हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- सं०सं०- ह०क०सह० (यो०/वन टाईम सेटलमेन्ट)- 30/2018 पटना, दिनांक-
प्रतिलिपि- सहायक निबंधक बुनकर सहयोग समितियाँ, गुलजारबाग, पटना/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

निदेशक,

हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- सं०सं०- ह०क०सह० (यो०/वन टाईम सेटलमेन्ट)- 30/2018 पटना, दिनांक-
प्रतिलिपि- प्रबंध निदेशक, सभी जिला सहकारिता बैंक, बिहार एवं प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि०, पटना को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि हस्तकरघा बुनकर सहयोग समिति/संघ का यदि कोई कर्ज बकाया है तो उसकी सूचना संबंधित समिति/संघ को देते हुए अधोहस्ताक्षरी को दी जाय।

ह०/-

निदेशक,

हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- सं०सं०- ह०क०सह० (यो०/वन टाईम सेटलमेन्ट)- 30/2018 पटना, दिनांक-
प्रतिलिपि- आई०टी० मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

47
04.01.19

निदेशक,

हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना।

6